UPSIDA

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

यूपीसीडा काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
कानपुर -- 208024
दूरभाष : 0512 582851-53
फैक्स : 0512.2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
Email: atpupsida@gmail.com
CIN-U26961SGC002834

सैद्धान्तिक अनुमोदन

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0,
गाजियाबाद।

संदर्भ संख्या /यूपीसीडा/एटीपी दिनांक

विषयः भूखण्ड सं0 बी–43, औ0क्षे0 साहिबाबाद, गाजियाबाद के उप विभाजन के सम्बधं में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0 5487 दिनांक 24.08.2022 एवं 6546 दिनांक 15.09.2022 का संदर्भ लें जिसके द्वारा औ0क्षे0 साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के मेसर्स रत्नागिरी सिरमेक्स प्रा0लि0 को आवंटित भूखण्ड संख्या बी–43 (क्षेत्रफल 7218.22 वर्गमी0) के ऑनलाईन उप विभाजन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उप विभाजन प्रस्ताव पर गठित समिति की संस्तुति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 03.11.2022 को सशर्त सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्वीकृति पत्र निर्गत करने से पूर्व निम्न कार्यवाही आपके कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जानी हैः–

1. उप विभाजित होने के पश्चात मूल आवंटी द्वारा surrender cum declaration deed निष्पादित करायी जायेगी एंव अवशेष भूमि का कब्जा प्राप्त करना होगा।
2. उप विभाजित होने के पश्चात नवीन भूखण्डों को पुनः उप विभाजन कार्यालय आदेश दिनांक 14.06.2022 के अनुसार विचारित किया जा सकेगा।
3. उप विभाजित भूखण्डों का भू–उपयोग यथावत औद्योगिक रहेगा एवं भवन मानचित्र भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 (यथा–संशोधित) के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराये जायेगें।
4. प्राधिकरण में प्रचलित उप विभाजन नीति के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।
5. आवंटी द्वारा उप विभाजन शुल्क रू.52,46,998.00 जीएसटी प्रचलित उप विभाजन नीति के अनुसार देय होगी।
6. यूपीसीडा के योजना बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन,2004 के अनुच्छेद 3.3.8 के अन्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा आवंटी के चयनित प्रस्ताव को दो समाचार पत्रों एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी समाचार पत्र, जो widely circulated हो, में जनापत्ति प्रकाशित करने की कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रकाशन की सूचना प्रभारी–कम्प्यूटर, मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना होगा। विज्ञप्ति में निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को संकलित करते हुए एवं विज्ञप्ति प्रकाशित के समाचार पत्रों की दो–दो प्रति एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. उक्त पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसके निराकरण सम्बन्धी समस्त निर्णय आवंटी को मान्य होंगे।
8. नव नियोजित भूखण्डों के आवंटन सम्बन्धी कोई अग्रिम कार्यवाही जनापत्ति प्रकाशन के निर्धारित तिथि एवं प्रस्तावित पार्ट तलपट मानचित्र के अन्तिमीकरण से पूर्व कोई कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नही की जायेगी।

औद्योगिक भूखण्ड संख्या बी–43 (क्षेत्रफल 7218.22 वर्गमी0), औ0क्षे0 साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के उप विभाजन मानचित्र की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त अनुपालन आख्या एटीपी अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक (वास्तु0/नियो0

पृष्ठांकित संख्या 1118 /यूपीसीडा/एटीपी दिनांकः 03-11-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निजी सचिव (मु0का0अ0), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
2 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए) महोदया,, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
3 प्रभारी (औ0क्षे0), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
4 प्रभारी (कम्प्यूटर), मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त संलग्न मानचित्र एवं विज्ञप्ति को वेबसाइट पर 15 दिन तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

Meena
3/11/2022
(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक (वास्तु0/नियो0